

(56)

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
के तहत भुगतान (बिना डाक
चार्ज) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 अप्रैल 2013—वैशाख 3, शक 1935

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 14-34/2012/19/तक-4.—भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1932 की धारा-2 सहपठित भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) जैसा कि यह छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, गरियाबंद जिले में पाण्डुका-कुटेना अमलीडीह मार्ग के कि.मी. 4/4-6 पर स्थित, पैरी नदी पुल पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2527/एफ-20-29/2010/19/टी-4, दिनांक 29-01-2011 में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उद्ग्रहित करती है तथा यह घोषित करती है कि छत्तीसगढ़ कार्य विभाग मैनुअल के परिशिष्ट 9.26 में विनिर्दिष्ट वाहनों को उक्त पथकर के भुगतान से छूट रहेगी.

यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 14-34/2012/19/तक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 14-34/2012/19/तक-4 दिनांक 23-04-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 23rd April 2013

NOTIFICATION

No. F-14-34/2012/19/T-4.—In exercise of the powers conferred by Section 2 of the Indian Tolls (Chhattisgarh Amendment) Act, 1932 read with Section 4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851), in its application to the State of Chhattisgarh, the State Government, hereby, levies toll tax on Pairi River Bridge, Located on 4/4-6 K.M. of Panduka-Kutena Amlidih Road in Gariyaband District, at the rates specified in Schedule appended with Department's Notification No. 2527/F-20-29/10/19/T-4, dated 29-01-2011 and declares that, vehicles specified under Appendix 9.26 of Chhattisgarh Work Department Manual shall be exempted from the payment of the said toll.

These orders shall come into force from the date of this Notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. M. LULU, Deputy Secretary.